2012: सीजीएचसी: 10198
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**
माननीय श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायाधीशगण

दाण्डिक अपील संख्या 2013/1996

रंजीत उर्फ़ अजयदास

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य
(वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(विचारार्थ)

सही/-
श्री सुनील कुमार सिन्हा_
न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री राधेश्याम शर्मा,
मै सहमत हूँ |

सही/-
श्री आर.एस.शर्मा
न्यायाधीश

(दिनांक 21/08/2012 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें)

सही/-
श्री सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

युगलपीठ: **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**
माननीय श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायाधीशगण

दाण्डिक अपील संख्या 2013/1996

अपीलार्थी रंजीत उर्फ़ अजयदास, पिता ईश्वरचंद्र दास, आयु 27 वर्ष, निवासी मेन मार्केट बैलाडीला, थाना बैलाडीला, जिला बस्तर, म.प्र. (वर्तमान में छ.ग. राज्य)

बनाम

प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य) द्वारा, थाना प्रभारी, थाना मोहन नगर, दुर्ग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील)

उपस्थिति:

अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.के.जैन, अधिवक्ता |

राज्य की ओर से : श्री जे.ए. लोहानी, पैनल अधिवक्ता |

निर्णय
(दिनांक 21.08.2012 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा, द्वारा पारित किया गया -

(1) यह अपील दिनांक 26 सितंबर, 1996 को सत्र प्रकरण क्रमांक 95/95 में षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

(2) संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं:-

मृतक गेंदलाल और अपीलार्थी रंजीत उर्फ़ अजयदास जेबकतरे थे। दिनांक 26.10.1994 की रात्रि में, वे रेलवे स्टेशन, दुर्ग आए। दोनों ने रेलवे स्टेशन के पास शराब पी। अभियोजन का मामला है कि पैसे के बंटवारे को लेकर हुए किसी विवाद के कारण, अपीलार्थी ने मृतक की गर्दन पर उस्तरे से हमला कर दिया। मृतक की गर्दन और हाथों पर चोटें आईं। अपीलार्थी एक बैग लेकर रेलवे स्टेशन की ओर भागा। मृतक गेंदलाल ने उसका पीछा किया। अपीलार्थी को जीआरपी आरक्षको ने पकड़ लिया। मृतक गेंदलाल जीआरपी आरक्षक के पास आया और बोला कि अपीलार्थी उसे चोट पहुंचाकर बैग लेकर भाग रहा है। इसके बाद मृतक गेंदलाल को रेलवे पुलिस चौकी, दुर्ग ले जाया गया, जहां उसकी सूचना रोजनामचा क्रमांक 1091 दिनांक 29.10.1994 के रूप में पंजीकृत की गई। मृतक को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. जी.एस. ठाकुर (अ.सा.-12) द्वारा मृतक का चिकित्सीय परीक्षण किया गया जिसका चिकित्सीय प्रमाण प्रतिवेदन **प्रदर्श- पी/7** है। मृतक गेंदलाल की गंभीर स्थिति को देखते हुए, उसे शल्यक्रिया वार्ड में भर्ती कराया गया, हालांकि, रात्रि लगभग 10.30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु सूचना **प्रदर्श- पी/5** के द्वारा दुर्ग थाना भेजी गई। मर्ग **प्रदर्श- पी/6** पंजीकृत की गई। विवेचना अधिकारी ने पंचों को **प्रदर्श- पी/14** का नोटिस दिया और मृतक के शव का मृत्युसमीक्षा प्रतिवेदन **प्रदर्श- पी/1** तैयार किया। मृतक के शव को **प्रदर्श- पी/3** के अनुरोध पत्र के द्वारा शवपरीक्षण हेतु भेजा गया, शव परीक्षण डॉ. सुरेश कुमार सिन्हा (अ.सा.-7) द्वारा किया गया। अग्रिम कार्यवाही में, अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के द्वारा उसका प्रकटीकरण कथन **प्रदर्श- पी/17** के द्वारा अभिलिखित किया गया तथा उसके निशानदेही पर उसके कब्जे से **प्रदर्श- पी/18** के माध्यम से उस्तरा जब्त किया गया, जब्त की गयी वस्तुओ को जप्ती कर रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जहां से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिवेदन प्राप्त हुई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आर्टिकल **'एफ'** (उस्तरा) सहित विभिन्न वस्तुओं पर रक्त के धब्बे पाए गए।

स्वीकार्य रूप से घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था। अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। निम्नलिखित मुख्य परिस्थितियाँ हैं, जिनके आधार पर सत्र न्यायाधीश ने विश्वास किया और अपीलार्थी को उपरोक्त रूप में दोषी ठहराया एवं दंडादेश दिया:-

(i) मृतक द्वारा आरक्षक- हरिबहादुर (अ.सा.-3), प्रधान आरक्षक - कल्याण सिंह (अ.सा.-4) और मोहम्मद सलीम (अ.सा.-9) के समक्ष मौखिक मृत्युकालिक कथन देना;

(ii) मृतक द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप लगाते हुए रोजनामचा पंजीकृत कराना, जिसे शेख हमीदुल्ला (अ.सा.-5) ने लिखा था; और

(iii) अपीलार्थी के निशानदेही पर खून से सना उस्तरा बरामद होना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. जैन ने तर्क दिया कि मृतक की श्वास नली पूरी तरह से कट गई थी, दोनों डॉक्टरों ने राय दी कि ऐसी चोट के कारण वह बोल नहीं सकता था, इसलिए मौखिक मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य अविश्वसनीय है। जब्ती के बारे में, उन्होंने तर्क दिया कि उस्तरा एक खुले कूड़े के स्थान से जब्त किया गया था और जब्ती और मेमोरेंडम के स्वतंत्र साक्षी, अब्दुल सलीम (अ.सा.-17) के अनुसार, यह साबित नहीं हुआ कि अपीलार्थी ने मेमोरेंडम कथन दिया था या वह जब्ती के समय उपस्थित था।

(4) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी ने इन तर्कों का विरोध किया और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) हमने दोनों पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन भी किया।

(6) यह स्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में परिस्थितियाँ पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए। वे निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए। परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिनकी व्याख्या की जा सके और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने के बारे में कोई संदेह न रहे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) श्री जैन द्वारा दिए गए तर्क की विवेचना करने के लिए, आइए पहले चिकित्सीय साक्ष्य को देखें।

(8) डॉ. जी.एस. ठाकुर (अ.सा.-12) ने कथन किया है कि दिनांक 29.10.1994 को रात्रि लगभग 10.00 बजे वे जिला अस्पताल, दुर्ग में उपस्थित थे। मृतक को उनके पास लाया गया। उन्होंने मृतक का चिकित्सीय परीक्षण किया था। उसका रक्तचाप 110/70 एचजी था। उसके दोनों फेफड़ों से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी और बेहोशी की हालत में था। उन्होंने निम्नलिखित चोटें देखीं:-

(i) गर्दन के दाहिने हिस्से पर 4 x 2.5 इंच का कटा हुआ घाव। मांसपेशियाँ गहराई से कटी हुई थीं, शिराएँ कटी हुई थीं और श्वास नली भी कटी हुई थी; और

(ii) दाहिने अग्रबाहु पर 2.5 x 1.5 इंच का कटा हुआ घाव।

उन्होंने राय दी कि दोनों चोटें गंभीर थीं और कठोर एवं तेज धार वाली वस्तु से लगी थीं।

मुख्य परीक्षण के कंडिका-14 में, उन्होंने स्वीकार किया कि घायल व्यक्ति मृत्युकालिक कथन देने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि यदि स्वर रज्जु के नीचे स्वरयंत्र पर चोट लगती है और श्वास नली कट जाती है, तब रोगी बोलने की स्थिति में नहीं होगा। कंडिका -15 में, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि घायल व्यक्ति को लगी चोटों के कारण वह बोलने में सक्षम नहीं था।

(9) डॉ. सुरेश कुमार सिन्हा (अ.सा.-7) ने मृतक के शव का शव परीक्षण किया था। उन्होंने भी निम्नलिखित चोटें देखीं:-

(i) गर्दन के दाहिने हिस्से पर 5 x 2 x 2.5 इंच का कटा हुआ घाव;

(ii) दाहिने अग्रबाहु पर 2 x 1 इंच का कटा हुआ घाव।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने पाया कि मृतक की श्वास नली पूरी तरह से कटी हुई थी और दाहिनी कैरोटिड धमनी भी पूरी तरह से कटी हुई थी। उन्होंने राय दी कि मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप आघात था। मुख्य परीक्षण के, कंडिका -4 में, उन्होंने स्वीकार किया कि यदि श्वास नली कट जाती है, तो व्यक्ति मुंह हिला सकता है, लेकिन आवाज नहीं निकलेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसी चोटें लगने के बाद व्यक्ति हिल-डुल सकता है और कुछ समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन वह बोलने की स्थिति में नहीं होगा। यदि वह बोलने की कोशिश भी करेगा, तो कोई नहीं समझ पाएगा कि वह क्या कह रहा है। उन्होंने राय दी कि यदि स्वर रज्जु के नीचे श्वास नली कट जाती है तो व्यक्ति पूरी तरह से गूंगा हो जाएगा।

(10) अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि मृतक, आरक्षक हरिबहादुर (अ.सा.-3) और प्रधान आरक्षक - कल्याण सिंह (अ.सा.-4) के पास आया और उनके समक्ष मौखिक मृत्युकालिक कथन दिया। अभियोजन का आगे का मामला है कि इसके बाद मृतक को थाना ले जाया गया और प्रधान आरक्षक - शेख हमीदुल्ला (अ.सा.-5) द्वारा उसकी सूचना रोजनामचा में पंजीकृत की गई। ये कथित रूप से मृतक द्वारा उपरोक्त पुलिस कर्मियों के समक्ष दिए गए मृत्युकालिक कथनों के दो साक्ष्य हैं। यदि मृतक की श्वास नली पर उपरोक्त गहरा कट घाव था और उसकी श्वास नली पूरी तरह से कटी हुई थी, जैसा कि दोनों डॉक्टरों ने स्वीकार किया है, तो वह बोलने की स्थिति में नहीं होगा। यह उपरोक्त पुलिस साक्षियों और एक वेल्डिंग करने वाले, मोहम्मद सलीम (अ.सा.-9) के साक्ष्य पर संदेह पैदा करता है, जिन्होंने अभिवाक किया था कि मृतक ने उनके समक्ष मौखिक मृत्युकालिक कथन दिया था। उपरोक्त पुलिस गवाहों के अनुसार, मृतक को जी.आर.पी. थाना, दुर्ग ले जाया गया, जहां रोजनामचा **प्रदर्श.पी/2** पंजीकृत किया गया और फिर मृतक को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने रोजनामचा क्यों पंजीकृत की और नियमित प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीकृत क्यों नहीं की गई। श्री जैन ने तर्क दिया है कि चूंकि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में सूचना देने वाले के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं जो रोजनामचा में आवश्यक नहीं होते और मृतक बेहोश होने के कारण हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए पुलिस ने प्रथम सूचना पत्र पंजीकृत करने के बजाय केवल रोजनामचा पंजीकृत किया। ऐसा कारण काल्पनिक रूप से हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है और प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि पुलिस द्वारा मृतक के कथन पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीकृत क्यों नहीं की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य और विशेष रूप से 2 चिकित्सकों के चिकित्सीय साक्ष्य पर विचार करने के बाद कि ऐसी चोटें लगने के बाद, घायल व्यक्ति बोलने की स्थिति में नहीं होगा, कथित रूप से मृतक द्वारा

दिए गए मौखिक मृत्युकालिक कथनों की परिस्थिति पर भरोसा करना सुसंगत नहीं था। हमारा विचार है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने कथित रूप से मृतक द्वारा 2 आरक्षकों और थाना में प्रधान आरक्षक के समक्ष दिए गए मौखिक मृत्युकालिक कथनों के साक्ष्य को स्वीकार करने में त्रुटि की है।

(12) जहां तक अपीलार्थी के निशानदेही पर चाकू (उस्तरा) जब्त होने की परिस्थिति का संबंध है, मेमोरेंडम और जब्ती के स्वतंत्र साक्षी, अब्दुल सलीम (अ.सा.-17) ने शपथपूर्वक कहा कि पुलिस ने विभिन्न दस्तावेजों पर उसके कई हस्ताक्षर लिए थे। उसने मेमोरेंडम कथन **प्रदर्श- पी/17** पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। उसने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट शब्दों में शपथपूर्वक कहा कि यद्यपि मेमोरेंडम पंजीकृत करने के समय आरिफ इम्तियाज वहां उपस्थित था, लेकिन उसने उस स्थान पर अपीलार्थी को नहीं देखा था। जब्ती के बारे में, उसने शपथपूर्वक कहा कि उस्तरा टेम्पो स्टैंड के पास कूड़े वाली जगह से जब्त किया गया था, लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि उस समय अपीलार्थी वहां उपस्थित था या नहीं। यह अपीलार्थी के बताने पर उस्तरा जब्त होने के मेमोरेंडम कथन और जब्ती पर संदेह पैदा करता है। इसके अलावा, इस आशय का कोई प्रतिवेदन नहीं है कि उस्तरे पर पाए गए रक्त के धब्बे मानव रक्त के थे और मृतक के रक्त समूह से मेल खाते थे। हमारा विचार है कि उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन में, यह परिस्थिति भी अपीलार्थी के विरुद्ध पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई थी और दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) उपरोक्त कारणों से, हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य के उपरोक्त साक्ष्य पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम रखने में असमर्थ हैं। परिस्थितियाँ पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई थीं। परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की नहीं थीं। परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिनकी व्याख्या की जा सकती थी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला भी पूर्ण नहीं थी।

(14) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि और दण्डादेश अपास्त की जाती है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी को दिनांक 30.10.1994 को अभिरक्षा में लिया गया था और दिनांक 19.1.2002 को जमानत पर रिहा किया गया था। वर्तमान में वह जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त की जाती हैं और प्रतिभू को उन्मोचित किया जाता हैं।

(सही)
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

(सही)
श्री आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित अभिनिर्धारित किया जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By : ANKIT SHRIVAS